Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 18-July-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

प्रश्न- राज्य के राज्यपाल को संवैधानिक रूप से प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों की चर्चा कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the constitutional discretionary powers available to the Governor of State.
(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य की संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। ये विवेकाधीन शक्तियाँ हैं-

- अनुच्छेद-356 के तहत् किसी प्रांत में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है।
- जब प्रांत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वह राज्यमंत्री परिषद् से स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है।
- अनुच्छेद-200 के तहत् राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वविवेक से राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
- जब राज्य विधानमंडल में किसी दल को बहुमत न मिली हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल सदन के सबसे बड़े दल को मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत् राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती है तथा न्यायालय इन शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

GS World Committed To Excellence